न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं.46 / अपील / 2024 (GCMS No. 2024 / 171)	01.10.2024	15.09.2025

1. महावीर आ. स्व.रामचन्द्र जाति मीना,
   निवासी ग्राम महराना, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
2. हरिप्रसाद आ. स्व.रामचन्द्र जाति मीना,
   निवासी ग्राम महराना, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।

– अपीलान्टस

बनाम

1. देशराज आ. मोहनलाल जाति मीना,
   निवासी ग्राम जावटीखुर्द, तहसील एवं जिला बून्दी।
2. संजय आ. मोहनलाल जाति मीना,
   निवासी ग्राम जावटीखुर्द, तहसील एवं जिला बून्दी।
3. सुनिता पुत्री मोहनलाल पत्नी छीतरलाल जाति मीना,
   निवासी ग्राम बल्लोप, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री बृजमोहन गौत्तम, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार तालेडा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 2439 दिनांक 21.05.2024 ग्राम महराना से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार दाखाबाई पत्नी रामचन्द्र मीना के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

जिला कलक्टर, बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 46/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/171 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से दिनांक 23.06.2025 को एकक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि आराजी खसरा संख्या 1169 रकबा 0.9712 हैक्टेयर वाकेग्राम महराना, तहसील तालेडा, जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त भूमि के पूर्व खातेदार स्वर्गीय दाखाबाई पत्नी रामचन्द जाति मीना निवासी ग्राम महराना थे। खातेदार दाखाबाई के दो पुत्र महावीर, हरिप्रसाद एवं एक पुत्री सूरजकलां थी। पुत्री सूरजकलां की मृत्यु हो चुकी है, रेस्पो.सं.1 लगायत 3 उसके वारिसान है। खातेदार दाखाबाई की मृत्यु हो जाने पर फोती नामान्तरकरण संख्या 2439 दिनांक 21.05.2024 को दो पुत्र महावीर, हरिप्रसाद एवं एक पुत्री मृतक सूरजकलां के वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया, जो विधि विरूद्ध है क्योंकि मृतक खातेदार दाखाबाई की जाति मीना है जो अनुसूचित जनजाति में आती है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2 की उपधारा--2 के अनुसार नये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित नहीं होती, बल्कि उन पर ऑल्ड हिन्दू विधि लागू होती है। पुराने हिन्दू अधिनियम की धारा 43 के तहत अनुसूचित जनजाति में माता/पिता की मृत्यु हो जाने पर पैतृक कृषि भूमि में पुरूष सन्तान मौजूद हो तो पुत्रियों को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। केन्द्र सरकार द्वारा नये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू किये जाने के संबंध में शासकीय राजपत्र में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इस उपरान्त भी मृतक दाखाबाई के विरासत के नामान्तरकरण में पुरूष पुत्र महावीर व हरिप्रसाद के जीवित होते हुए भी मृतक पुत्री सूरजकलां के वारिसान रेस्पो.सं.1 लगायत 3 के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया, जो अवेधहोने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व पक्षकारान को कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया, जो नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के सर्वथा विपरित है। अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने पर नकल दिनांक 29.08.2024 को प्राप्त होने पर अपील मध्य अवधि पेश की गई है। अपील गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तकरण में से रेस्पो.सं.1 लगायत 3 का नाम विलोपित कर अपीलांटस का 1/2--1/2 हिस्सा दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण की दिनांक 28.08.24 को जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर दिनांक 24.90.24 को अपील पेश किया जाना प्रार्थना पत्र धारा 5 मय शपथ पत्र में अंकित है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम महराना की आराजी खसरा संख्या 1169 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि की खातेदार दाखाबाई पत्नी रामचन्द्र जाति मीणा थी। खातेदार दाखाबाई के देहान्त के बाद उसका विरासत का नामान्तरकरण महावीर, हरिप्रसाद पि. रामचंद्र एवं देशराज, संजय, सुनीता पिता मोहनलाल के पक्ष में तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांटस को आपत्ति है कि खातेदार मीना जाति की होने से उसके विरासत नामान्तरकरण में पुत्रों के साथ मृतक पुत्री के वारिसान का नाम दर्ज कर दिये जाने से उक्त नामान्तरकरण विधिविरूद्ध है, जिसे निरस्त किया जाकर अपीलांटस के के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

इस संबंध में विधिक प्रावधानों के अवलोकन से विदित है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की धारा (2) उप धारा (2) में स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यो को, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निदिष्ट न कर दे। हमारी जानकारी में किसी भी पक्ष द्वारा ऐसा कोई नोटिफिकेशन पेश नहीं किया गया, जिससे प्रतीत हो कि केन्द्र सरकार ने अन्यथा रूप से निर्देशित कर दिया हो। केन्द्र सरकार द्वारा आदिनांक तक कोई अधिसूचना जारी नहीं किये जाने से अनुसूचित जन जाति में प्रचलित परिपाटी, रीतिरिवाज तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 से पूर्व की कानूनी स्थिति के आधार पर विरासत को तय किया जाता है। उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की मृत्यु होने पर पुरूष उत्तराधिकारी के मौजूद होने की दशा में महिलाओं को सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

जिला कलक्टर, बून्दी

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदार दाखाबाई का विरासत का तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। फलस्वरूप अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2439 ग्राम महराना निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को विधिक प्रावधानों की पालना करते हुये नियमों के परिप्रेक्ष्य में नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय पत्रावली में सम्मिलित होकर पत्रावली अभिलेखागार में जमा करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 15.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी